

भारत सरकार  
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय  
लोक सभा  
तारांकित प्रश्न सं. 297  
12 मार्च, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

आरईआरए (रेरा) से संबंधित वार्षिक रिपोर्टों का प्रकाशन

†\*297. श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषाद:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (रेरा), 2016 की धारा 34 और 35 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में आरईआरए (रेरा) के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित और सार्वजनिक करना अनिवार्य है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश आरईआरए और अन्य राज्यों ने वर्ष 2017 से हर वर्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है, यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त रिपोर्टों में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ के लिए पंजीकृत परियोजनाओं, प्राप्त और निस्तारित शिकायतों, लंबित मामलों, वसूली संबंधी जारी किए गए प्रमाणपत्रों और वास्तविक वसूली सहित जिला-वार आंकड़े शामिल हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कब्जे में विलंब और आदेशों के अनुपालन न करने से संबंधित सर्वाधिक शिकायतें इन्हीं क्षेत्रों से संबंधित हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) घर खरीदारों के हितों की रक्षा हेतु रिपोर्टों का प्रकाशन और आरईआरए के आदेशों का प्रभावी प्रवर्तन न किए जाने पर केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर  
आवासन और शहरी कार्य मंत्री  
(श्री मनोहर लाल)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*

## विवरण

"आरईआरए(रेरा) से संबंधित वार्षिक रिपोर्टों का प्रकाशन" के संबंध में दिनांक 12.03.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 297\* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): जी नहीं। भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 34 और 35 [रेरा] क्रमशः भू-संपदा नियामक प्राधिकरण के कार्यों और शक्तियों से संबंधित हैं। तथापि, रेरा की धारा 78 विनियामक प्राधिकरण को वार्षिक रिपोर्ट ऐसे रूप में और ऐसे समय पर तैयार करने का अधिदेश देती है जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो और इसे संसद के प्रत्येक सदन या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) विधानमंडल, जैसा भी मामला हो, के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है।

(ख) से (ड): भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 18 के अनुसार, भूमि और कॉलोनीकरण राज्य के विषय हैं। हालांकि, सूची-III (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 6, 7 और 46 से शक्तियां प्राप्त करके, संसद द्वारा रेरा को घर खरीदारों और प्रमोटरों के बीच संविदात्मक संबंधों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

रेरा के प्रावधानों के तहत, 'उपयुक्त सरकार' होने के नाते, राज्य सरकार द्वारा नियमों को अधिसूचित करने और संबंधित राज्य में भू-संपदा नियामक प्राधिकरण स्थापित करना आवश्यक है। इसके अलावा, भू-संपदा नियामक प्राधिकरण द्वारा सभी पंजीकृत भू-संपदा परियोजनाओं की प्रासंगिक जानकारी वाली एक वेबसाइट बनाना और इस जानकारी को जन साधारण हेतु प्रकाशित करना आवश्यक है।

मांगी गई सूचना मंत्रालय के पास केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। हालांकि, सभी हितधारकों के लिए सुव्यवस्थित सुलभता के लिए एक केंद्रीकृत रेरा वेब पोर्टल विकसित किया गया है। तदनुसार, भू-संपदा नियामक प्राधिकरणों के वेबलिंग और उनकी वार्षिक रिपोर्ट <https://rera.mohua.gov.in/> पर देखी जा सकती है।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 82, 83 और 84 के तहत, उपयुक्त सरकार को नियामक प्राधिकरण को निर्देश जारी करने और वार्षिक रिपोर्ट सहित रिपोर्टें और रिटर्न प्राप्त करने का अधिकार है।

रेरा के प्रभावी कार्यान्वयन और घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए मंत्रालय द्वारा समय-समय पर केन्द्रीय सलाहकार परिषद (सीएसी) सहित विभिन्न मंचों पर अन्य मुद्दों के साथ

रिपोर्टों का प्रकाशन न करने, आदेशों का प्रवर्तन न होने आदि से संबंधित मुद्दों को भी उठाया जाता है।

\*\*\*\*\*